केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली –110 001
फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 149/टीएल/2023 दिनांक: 18.7.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव (बीओओएम) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "फेस– ।। भाग–ड के अधीन राजस्थान (8.1 जीडब्ल्यू) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना" के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु 2009 (इसके बाद "पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम के रूप में संदर्भित") स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	संबंधित घटक की वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) घोषित करने के लिए पूर्वापेक्षित घटक
1.	भादला–II पीएस – सीकर–II 765 केवी डी/सी लाइन (द्वितीय)	18 मास	क्रम सं.1 से 4 पर अंकित घटकों को एक साथ आरंभ किए जाने की आवश्यकता है चूंकि उनका उपयोग एक–दूसरे के आरंभ होने पर निर्भर है।
2.	भादला–II पीएस–सीकर–II 765 केवी डी/सी लाइन के लिए भादला II और सीकर II प्रत्येक पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर		
3.	भादला–II पीएस–सीकर–II 765 केवी डी/सी लाइन 330 एमवीएआर के सीकर–II छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 1x330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर, 765 केवी रिएक्टर– 2 765 केवी रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपस्कर – 2		
4.	भादला–II पीएस–सीकर–II 765 केवी डी/सी लाइन के भादला–II छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 1x240एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर, 240 एमवीएआर, 765 केवी रिएक्टर– 2 765 केवी रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपस्कर– 2		

नोट:

i. पावरग्रिड, भादला–II सब–स्टेशन पर लाइन रिएक्टरों के 2 नंबर के लिए स्थान और 765 केवी बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

ii. सीकर–II पीएस का विकासकर्ता, सीकर– ।। पीएस पर लाइन रिएक्टरों के 2 नंबर के लिए स्थान और 765 केवी बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

iii. भादला–II सब–स्टेशन पर स्पेयर 1x80 एमवीएआर 1–पीएच रिएक्टर यूनिट की आपूर्ति और संस्थापन की संकल्पना वर्तमान दायरे के अधीन नहीं की गई है। टीएसपी, भादला–II पीएस पर इस प्रकार 765 केवी लाइन रिएक्टर बैंक्स संस्थापित करेगा कि यह 1–पीएच स्विचिंग के लिए उपयुक्त हो जब कभी भविष्य में पृथक स्पेयर 1–पीएच यूनिट प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भादला–II पीएस पर स्विचिंग व्यवस्था के लिए आवश्यक सभी संबद्ध उपस्कर अर्थात् आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर्स, न्यूट्रल बस, 765 केवी एवं 145 केवी सहायक बस आदि वर्तमान दायरे के अधीन 765 केवी रिएक्टर बैंक्स के लिए टीएसपी द्वारा प्रदान किया जाएगा। टीएसपी, भादला–II पीएस पर उपस्कर/सुविधाएं इस प्रकार प्रदान करेगा कि केवल रिएक्टर की 1x80 एमवीएआर स्पेयर यूनिट की आपूर्ति एवं संस्थापन, संबद्ध एलए, 1–पीएच सर्किट ब्रेकर और 765केवी एवं 145केवी बसेंज की आवश्यकता भविष्य में स्विचिंग व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए होगी।

iv. 'फेस–II भाग–ग के अधीन राजस्थान (8.1 जीडब्ल्यू) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना' के अधीन सीकर–II पीएस पर प्रदान किए जा रहे 765 केवी, 1x110 एमवीएआर रिएक्टर के स्पेयर यूनिट को 'फेस–II भाग–घ के अधीन राजस्थान (8.1 जीडब्ल्यू) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना' और 'फेस–II भाग–ड के अधीन राजस्थान (8.1 जीडब्ल्यू) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना' प्रत्येक के अधीन सीकर–II पीएस पर प्रदान किए जा रहे 6x110 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए कॉमन स्पेयर के रूप में उपयोग किया जाएगा।

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसलटिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 1352.15 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 4.7.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 149/टीएल/2023 में दिनांक 18.7.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
5. भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, (अब पावरग्रिड भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से अभिज्ञात) को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **7.8.2023** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा दिनांक **11.8.2023** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव